24/05/24

वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण की जल्दी सुनवाई करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसको स्वीकार कर पत्रावली आज सुनवाई पर ली गई। बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया गया। आदेश प्रति TDR बाली व समस्त संबंधित को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2023 / 205
दायरा तिथि : 18.09.2023
आदेश तिथि : 24-05-2024
प्रार्थी :–

श्री किशनाराम पुत्र भंवराराम जाति मेघवाल निवासी मोहनजी का केसर तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर (राज.)

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांकः 24/5/024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भागली पटवार हल्का पैरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 535 / 334 रकबा 0.7800 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प / रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1186 रकबा 1.1400 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक,बिसलपुर ने जांच कर पत्रांक / राजस्व / 2024 / 1734 दिनांक 25.01.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात तहसीलदार बाली से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक,बिसलपुर ने पुनः जांच कर पत्रांक / राजस्व / 2024 / 360 दिनांक 21.05.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक बिसलपुर की पुनः जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि राजकीय सिवायचक भूमि का वर्तमान खसरा नंबर 2790 / 1186 में प्रस्तावित रास्ता कटान मार्ग खसरा संख्या 1183 से न्यूनतम दूरी का है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रस्तावित खसरे की डी.एल.सी. दर 163325 /– रूपये प्रति हैक्टर है।
3. यह है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भागली के खसरा संख्या 535 / 334 तक आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। अतः रास्ता दिया जाना उचित है।
4. यह है कि ग्राम बिसलपुर में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	2790 / 1186	1.3410 हैक्टर	बारानी सोयम	36X9.14= 329.04 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

5. यह कि खातेदारी भूमि ग्राम भागली के खसरा संख्या 535 / 334 ग्राम भागली व ग्राम बिसलपुर की सीमा पर स्थित है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ता व प्रार्थी की खातेदारी भूमि को दर्शित करते हुये दोनों राजस्व गांवों का संयुक्त नक्शा रिपोर्ट संलग्न है। उक्त प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित बताया है।

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड़ अधिकारी,बाली

पेज लगातार.........02

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2023/205

अनवान किशनाराम बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम भागली पटवार हल्का पैरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 535/334 रकबा 0.7800 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा पुनः जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/360 दिनांक 21.05.2024 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भागली पटवार हल्का पैरवा तहसील बाली के खरारा नंबर 535/334 रकबा 0.7800 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बिरालपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 2790/1186 रकबा 1.3410 हैक्टर में से **324 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर मे	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 1,63,325 /–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1186	1.14 हैक्टर	36X9= 324 वर्गमीटर	17	5508 X2=11016	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित **नही होने से उक्तानुसार राशि 11016/–** (अक्षरे ग्यारह हजार सोलह रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण निजी खातेदार/राज्य सरकार को अदा की जायेगी। प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. बिसलपुर द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली
दिनांक : 24-05-2024

क्रमांक/कोर्ट/2024/591-595

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, बिसलपुर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री किशनाराम पुत्र भंवराराम जाति मेघवाल निवासी मोहनजी का केसर तहसील बाडमेर जिला बाडमेर (राज.) को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली